BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No. 147 /2024

IN THE MATTER OF:

Hardeep Sharma ...Applicant

Versus

Ramesh Chand Aarya & Ors. ...Respondents

NDOH: 22.10.2024

Index

SL. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Comprehensive Affidavit by the Sub Divisional Forest Officer, Jaspur, Nainital, Uttarakhand.	
2	**Annexure A:** Letter dated 23.09.2024, to landowners to pay the compensation for felling additional 176 trees.	
3	**Annexure B:** Letter dated 26.09.2024 by Siddhanth Goyel.	
4	**Annexure C:** Letter raising objections to Siddhanth Goyel by SDFO, Jaspur	

Filed By

DEEPAK BORA

Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India
New Delhi-110001
Mobile No. 9971578987

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No. 147 /2024

IN THE MATTER OF:

Hardeep Sharma ...Applicant

Versus

Ramesh Chand Aarya & Ors. ...Respondents

NDOH: 22.10.2024

Comprehensive Affidavit by the Sub Divisional Forest Officer, Jaspur, Nainital, Uttarakhand.

I, Sandeep Giri, S/o Sh. Ishwar Giri aged about 35 years, presently posted as Sub Divisional Forest Officer, Jaspur, Nainital, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file a present Response by way of an Affidavit as Sub Divisional Forest Officer, Jaspur, Nainital, Uttarakhand.

NOTARY GOVT. OF INDIA

2. That the above-mentioned matter was listed on 25.09.2024 before this Hon'ble Tribunal, with having next date of hearing as 22.10.2024.

3. That prior to inspection, it was discovered that against the permission for 150 trees granted to the landowner, 238 trees had been cut at the site and accordingly, fine for a sum of Rs. 4.40 lakh for illegal cutting of 88 trees was imposed and the copies of the receipts are already on record.

4. That subsequently, pursuant to inspection carried out under the orders of this Hon'ble Tribunal, 176 trees less in number were found at the site and accordingly were called upon by way of Letter dated 23.09.2024, to pay the compensation for these additional 176 trees. A copy of the letter dated 23.09.2024 is attached herewith and marked as **Annexure A**.

NOTARY
Rajendra Singh Latwal
Ramnagar (Nainital) U.K.
Regn. No. 13309
GOVT. OF INDIA

5. That Siddhanth Goyel, by way of his letter dated 26.09.2024, stated that out of the 176 trees, he has relocated 165, of which 48 have dried up at the site and 117 trees are currently standing alive at the site and he is willing to pay compensation for 59 trees. A copy of the letter dated 26.09.2024 is attached herewith and marked as **Annexure B**.

6. That in response to the aforementioned letter, the Office of the Sub-Divisional Forest Officer (Jaspur), Terai Western

Forest Division, Ramnagar (Nainital), raised objections by posing the following questions:-

1) *"Under which government order/rules have you re-planted 165 trees?*
2) *From which department did you obtain the no objection certificate before planting 165 trees?*
3) *Certificates have not been attached from the places where 165 trees have been planted by you.*
4) *What is the current status of 165 trees?"*

The said letter has been annexed herewith and marked as **Annexure C**.

7. That Shri Siddhant Goyel, has neither submitted any reply nor paid the required compensation to date.

8. That the present response by way of an Affidavit in compliance with the direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY
Rajendra Singh Latwal
Ramnagar (Nainital) U.K.
Regd. No.- 13309
Exp. 24/8/2027
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and say that the contents of my above report by way of the affidavit are true and correct to my knowledge based on the record, no part of it is false, and nothing material has been concealed therefrom. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Nainital, Uttarakhand, on this 19 day of October 2024.

NOTARY
Rajendra Singh Latwal
Ramnagar (Nainital) U.K.
Regd. No.- 13309
Exp. 24/8/2027
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

Sandeep Giri
Sub Divisional Forest Officer,
Jaspur, Nainital,
Uttarakhand.

Filed By

DEEPAK BORA

Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India
New Delhi-110001
Mobile No. 9971578987

Sandeep Giri S/o Ishwar Giri
Ramnagar (Nainital)

Rajendra Singh Latwal
19/10/2024

कार्यालय, उप प्रभागीय वनाधिकारी (जरापुर) तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)
पत्रांक 58 /29-1 दिनांक, 23/09 2024

सेवा में,

1. श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश गुप्ता
2. श्री सुफल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता
निवासीगण ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

द्वारा भू- स्वामी उपरोक्त की ओर से उनके नियुक्त प्रतिनिधि—
श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल
निवासीगण— हाल निवास काशीपुर उधमसिंहनगर।

विषयः— वन अपराध सं0 03/काशीपुर/2024—25 के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वन क्षेत्राधिकारी ने अपने पत्र सं0 589/29—1 दिनांक 22.06.2024 के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त टीम का गठन किया गया तथा संयुक्त टीम ने अपने पत्रांक यूकेपीसीबी/आरओके/2024/रिट—90/84 दिनांक 18.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26.09.2023 को की गई गणना के सापेक्ष कथित बाग में आम—94, लीची 57, नाशपाती—25 कुल 176 वृक्ष गणना करने पर कम पाये गये है। इस घटना का वन अपराध सं0 03/काशी0/2024—25 पंजीकृत किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति के द्वारा प्रेषित जॉच आख्या के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में 176 वृक्ष कम पाये गये तथ इस घटना का वन अपराध सं0 03/काशी0/24—25 पंजीकृत किया गया है। अतः आपके उक्त 176 वृक्षों का मुआवजा जमा करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक 176 वृक्षों का मुआवजा जमा नही किया गया है। आप पत्र प्राप्ति के 02 दिन के अन्तर्गत पातित 176 वृक्षों का मुआवजा रेंज कार्यालय काशीपुर में जमा करने का कष्ट करे।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, जरापुर
जॉच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

पत्रांक 58 /29-1 दिंनाकित
प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित को पत्र प्राप्त करा कर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, जरापुर
जॉच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

O/C

26-9-24.

सेवा में,

उप प्रभागीय वन अधिकारी (जसपुर)/जाँच अधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल)

विषय - वन अपराध सं0 03/काशीपुर 2024-25 के संबंध मे

संदर्भ - आपके कार्यालय पत्र संख्या 58/29-1 दिनांक 23-09-2024 के अनुपालन में

महोदय ,

उपरोक्त विषयक संबंधित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि आपके द्वारा जिन 176 वृक्षों के कम पाये जाने के संबंध मे मुआवज़ा जमा करने हेतु लिखा गया इसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे द्वारा 176 पेड़ों के सापेक्ष 165 वृक्ष पुनः स्थापित किए गए हैं जिनमें से 48 वृक्ष सूख चुके हैं तथा 11 वृक्ष मौक़े पर कम पुनः स्थापित किए गए थे इस प्रकार मौक़े पर 176 वृक्षों में से 117 वृक्ष जीवित स्वस्थ हालात में मौक़े पर खड़े हैं जिनके photograph हमारे द्वारा संलग्न किए जा रहे हैं इनके अलावा 59 वृक्ष जो कि सूख व कम पुनरोपित किये गए हैं उनका निम्न: अनुसार जो भी मुआवज़ा जमा करना होगा उसे हम जमा करने को तैयार है ।

26/9/24

सिद्धान्त गोयल

नियुक्त प्रतिनिधि

(भू - स्वामी श्री नकुल कुमार गुप्ता)

ANNEXURE C

कार्यालय, उप प्रभागीय वनाधिकारी (जसपुर) तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 76/27-1 दिनांक 9-10-2024

सेवा में,

1. श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश गुप्ता
2. श्री नुकूल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता
   निवासीगण ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

   द्वारा भू- स्वामी उपरोक्त की ओर से उनके नियुक्त प्रतिनिधि-
   श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल
   निवासीगण- हाल निवास काशीपुर उधमसिंहनगर।

विषय:- वन अपराध सं0 03/काशीपुर/2024-25 के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिस पत्र सं0 56/29-1 दिनांक 23.09.2024 के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा 176 वृक्षों में से 165 वृक्षों को स्थापित किया गया है तथा 48 वृक्ष सूख गये एवं 11 वृक्ष कम पाये गये है

आप 176 वृक्षों में से मात्र 59 वृक्षों (48 सूखे वृक्ष तथा 11 वृक्ष कम पाये गये) का मुआवजा जमा करने को तैयार है। आप 165 वृक्षों के सम्बन्ध में अवगत कराये कि:-

1. आपके द्वारा 165 वृक्षों को किस शासनादेश/नियमावली के तहत स्थापित किया गया है।
2. आपके द्वारा 165 वृक्षों को स्थापित करने से पूर्व किस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था।
3. आपके द्वारा 165 वृक्षों को जिन स्थानों मे स्थापित किया गया है उक्त क्षेत्र से प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है।
4. वर्तमान मे 165 वृक्षों की स्थिति क्या है?

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तार इस कार्यालय को अवगत करायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर
जाँच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

पत्रांक / दिनांकित
प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित से प्रतिउत्तर प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर
जाँच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।